न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 15/2019 (आरसीएमएस संख्याः–2019/00030)

1. रामसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
2. गोपाल सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
3. माधो सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
4. रसाल कंवर पत्नी श्री सुरजन सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
5. जगदीश सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
6. हनुमान सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
7. प्रेम कंवर पत्नी श्री जोरावर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अपीलान्टस्,

बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र स्व0 श्री भरत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
2. इन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री भरत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री भरत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
4. मोतीसिंह पुत्र स्व0 श्री भरत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
5. भंवरबाई पत्नी स्व0 श्री भरत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
6. सुमन कंवर पुत्री स्व0 श्री भरत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सोडाला, जयपुर।
7. विशनसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह, जाति–राजपूत निवासी–ग्राम ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
8. महावीर सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी–प्लाट नं0–4ए, कृष्णापुरी, राकडी, सोडाला, जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

9. सुगन कंवर पत्नी स्व0 श्री मोहनसिंह पुत्रवधु स्व0 श्री रूपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

10. भवानी सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहनसिंह पौत्र स्व0 श्री रूप सिंह (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमन कंवर, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील– कोटखावदा, जिला–जयपुर।
11. रवीना कंवर पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह पौत्री स्व0 श्री रूप सिंह (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमन कंवर, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
12. जयराजसिंह पुत्र स्व0 श्री रूपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
13. उमराव कंवर पत्नी स्व0 श्री रूपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स,

14. सरकार जरिये तहसीलदार, कोटखावदा, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 (1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, कोटखावदा, जिला–जयपुर दिनांक 10.07.2019 नामान्तरकरण संख्या–308 ग्राम–ताज खां का बास, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।)

उपस्थितः–

1. श्री भंवर लाल वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री सत्यप्रकाश पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 13 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 23.12.2019**

ग्राम–ताज खां का बास की आराजी खसरा संख्या कुल किता 28 रकबा 13.10 हे0 के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू में दायर मुकदमा संख्या 297/2016 उनवानी विशन सिंह वगैराह बनाम महावीर सिंह वगैराह दिनांक 27.06.2019 को दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी गण का नाम लोपित किये जाने के आदेश दिये है और उसके स्थान पर वादी संख्या 1 को 1/5 वादी संख्या 2 को 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 7 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 को 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की आज्ञा दी है व इसके अनुसार दिनांक 27.06.2019 को डिक्री जारी की है जिसकी पालना में पटवारी हल्का महादेवपुरा ने नामान्तरकरण भर कर पेश किया है और भू–अभिलेख निरीक्षक रूपाहेडी कलां ने जांच की है तत्पश्चात् तहसीलदार, कोटखावदा ने नामान्तरकरण संख्या–308 ग्राम–ताज खां का बास दिनांक 10.07.2019 को स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री बी.एल. वर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित किये जाने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व कोई सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया बल्कि अपीलाधीन आज्ञा बाला–बाला पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 के अनुसरण में स्वीकार किया जाना जाहिर किया है जबकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 288/2019 उनवानी गोपाल सिंह वगैराह बनाम विशन सिंह वगैराह लम्बित है क्योंकि वादग्रस्त आराजी जोकि महावीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह की खातेदारी में थी को, अपीलान्ट् संख्या 1 रामसिंह पुत्र गोपाल सिंह ने उचित प्रतिफल देकर क्रय की है और क्रय करने की दिनांक से ही बतौर खातेदार–काश्तकार की हैसियत से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये मनमाने तौर पर अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील जोकि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध है, राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में जैरकार है। अतः वादग्रस्त आराजी के अपील के निर्णय होने तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा–स्थिति कायम रखे जाने की आज्ञा पारित की जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 13 के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यप्रकाश पारीक ने अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की है। तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित की गई आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या–308 स्वीकार किया गया है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा तथ्यों व मौके की जांच कर नामान्तरकरण संख्या–308 भरा गया है जिसे विधिक रूप से भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा परीक्षण किया गया है और परीक्षण उपरान्त नामान्तरकरण में दर्ज अंकन सही होना पाया है। समस्त तथ्यों व मौके की जांच कर प्रकरण के गुणावगुण पर गौर कर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा सद्भाविक रूप से विधिक निर्णय पारित किया है। तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा व डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है और नामान्तरकरण किसी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं होने से किसी अन्य को नोटिस/अवसर दिये जाने का कोई विधिक न तो औचित्य था और न ही नियमों में कोई प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र में पद की शक्तियों का उपयोग कर सद्भाविक निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की अथवा स्थगन की आवश्यकता नहीं है। सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 की क्रियान्विति पर न तो नामान्तरकरण स्वीकार करते समय किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन था और न ही आज किसी न्यायालय की स्थगन आज्ञा है। बिना किसी विधिक कारण के किसी खातेदार काश्तकार के अधिकारों के उपयोग पर रोक लगाये जाने की इस्तदुआ करना अविधिक है। अपीलान्ट्स द्वारा यदि अपीलेट न्यायालय में आज्ञा व

डिक्री दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गई है तो वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलेट न्यायालय से दादरसी प्राप्त करनी होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई आज्ञा दिनांक 10.07.2019 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.07.2019 नामान्तरकरण संख्या–308 ग्राम ताज खां का बास यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नामान्तरकरण संख्या–308 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण भरकर पेश किया है। जिसे दिनांक 08.07.2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई है और तत्पश्चात् तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा स्वीकार किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित की गई आज्ञा व डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिनसे यह जाहिर होता हो कि सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित की गई आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 की क्रियान्विति पर किसी सक्षम न्यायालय की स्थगन आज्ञा हो अर्थात आज्ञा व डिक्री दिनांक 27.06.2019 की अनुपालना में अधीनस्थ राजस्व कारकूनान द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्यवाही पर किसी प्रकार की स्थगन आज्ञा नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद के निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। उक्त विवेचनानुसार हम चुनौती–अधीन आज्ञा दिनांक 10.07.2019 नामान्तरकरण संख्या–308 ग्राम–ताज खां का बास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है और न ही इस अवस्था में किसी प्रकार की स्थगन आज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की चुनौती–अधीन आज्ञा दिनांक 10.07.2019 नामान्तरकरण संख्या–308 ग्राम–ताज खां का बास यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादग्रस्त आराजी में यदि अपीलान्ट्स के कोई हक–हकूक हैं तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर दादरसी प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर